

5/11/24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलॉट
एवं अपीलॉट अनु.। न्यायालय की ओर
से अधिवक्ता अपीलॉट एवं अपीलॉट अनु.
को बार-बार आवाज लगाई गई लेकिन
उनकी ओर से कोई उपर नहीं आये। अतः
अपील अदम हाजरी एवं अदम पेशी में
स्वार्जिज की जाती है। अपील फेसल शुमार
हाउर बाद आवश्यक कामवादी दारिजल
दफ्तर है।